

## कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,खनन प्रभाग-रामनगर(नैनीताल)।

e-mail : prabharikhanan37@gmail.com

PH:- 05947-254537

usia-162 /

कोसी दाबका भाग-02 /

दिनांक-20/04/2021

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी

वन संरक्षण उत्तराखण्ड

इन्द्रा फॉरेस्ट कॉलोनी-देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय-

जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग-02 से 150 है0 वन भूमि में उपखनिज चुगान (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-महोदय.

आपका पत्रांक-2332/FPUK/MIN/60921/2020 दिनांक 06.03.2021 I

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग-02 के 150 है0 वन भूमि में उपखनिज चुगान के प्रस्ताव में निम्न प्रकार वांछित सूचनायें संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

बिन्दु सं0-1-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र भाग-1 में प्रस्तावक विभाग का नाम/हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है। (संलग्न–01)

बिन्दु सं0-2-भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग-2 के बिन्दुओं की सूचना पूर्ण कर दी गई है। (संलग्न-02)

बिन्दु सं0-3-प्रस्ताव में वन संरक्षक, महोदय की SIR संलग्न कर दी गई है। (संलग्न-03)

बिन्दु सं0-4-डिजिटल मानचित्र की सीठडीठ संलग्न है। (संलग्न-04)

बिन्दु सं0-5-उक्त प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र शिवालिक रिजर्व के अन्तर्गत नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, त०प० वन प्रभाग, रामनग से प्राप्त कर संलग्न किया जा रहा है। (संलग्न-०5)

बिन्दु सं0-6-प्रपत्र 20 में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के हस्ताक्षर कराये जाने हैं। अप हैं (अप राज्यन) बिन्दु सं0-7-वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर के हस्ताक्षर पूर्व में ही

करवा दिये गये हैं। (प्रमाण पत्र संलग्न-06)

बिन्दु सं0-8-प्रस्ताव में प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र की अध्ययन रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, महोदय की पत्र सं0-175/उपखनिज चुगान/Replenishment Study/दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उ० देहरादून को पत्र लिखा गया है। (प्रतिलिपि संलग्न-07)

बिन्दु सं0-9-लागत विश्लेषण। (संलग्न-08)

बिन्दुं सं0-10-लीज अवधि का प्रमाण पत्र। (संलग्न-09)

बिन्दु सं0-11-कोसी दावका 500 है0 का उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, की पत्र सं0- 693/दिनांक 03.05. 2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव उपखनिज उपलब्ध न होने के कारण निरस्त करने हेतु संस्तुति की गई है। (छाया प्रति संलग्न-10)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय.

(धीरेश चन्द्र बिष्ट) प्रभागीय प्रबन्धक खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम. रामनगर (नैनीताल)।

∕ उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित की सेवा में सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

 महाप्रबन्धक (कु0मण्डल), उ0 वन विकास निगम, हल्द्वानी। क्षेत्रीय प्रबन्धक (प०क्षे०), उ० वन विकास निगम, रामनगर।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, त0प0 वन प्रभाग, रामनगर को मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उच्च स्तर को सूचित करने का कष्ट करें।

> (धीरेश चन्द्र विष्ट) प्रभागीय प्रबन्धक खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।

> > Scanned with CamScanner

# कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745891 ई-मेल- cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 3/96 /12-1 देहरादून

दिनांक 30 अप्रैल, 2021

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

विषय:-

जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र, कोसी दावका भाग-2 से 150 हैं0 वन भूमि में उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिए वन स्वीकृति हेतु गठित प्रस्ताव संख्या FP/UK/MIN/60921/2020 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक उ-323/राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद (241) दिनांक 22 अप्रैल 2021 महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र, कोसी दावका भाग-2 से 150 है0 वन भूमि में उपखनिज चुगान (रत, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिए अनुमति दिये जाने हेतु प्रपत्र 20 में हस्ताक्षर कर मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न:-यथोपरि।

> भवदीय, — (नेठएस० सुहाग) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3196 /12-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय प्रवन्धक खनन रामनगर उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग-रामनगर (नैनीताल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे०एस० सुहाग) मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

परियोजना का नाम— आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

## मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि तराई पश्चिमी वन प्रमाग, रामनगर के रामनगर राजि के अर्न्तगत ज्वालावन में उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रमाग, रामनगर द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अम्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी लगमग 15.00 किमी0 है, जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अम्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

प्रमागीय प्रबन्धक (खनन) उ० व० विट निगम रामनगर (नैनीताल) प्रसंदता एजेन्सी प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) उ० व० वि० निगम रामनगर (नैनीताल)

प्रमानीय वनाविकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

मुख्य वन्यतीव प्रतिपा**लक** जत्तराखण्ड, देहरादून वन तंग्झक पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम:—आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग-2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

### प्रतिवेदन (परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

उक्त परियोजना का निर्माण जनपद—उधमिसंहनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर अन्तर्गत रामनगर राजि, ज्वालावन वन ब्लाक में प्रस्तावित है, जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी की जायेगी। उक्त परियोजना का निर्माण उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर द्वारा किया जायेगा। परियोजना की लम्बाई 6500 मी० व चौड़ाई 230.77 मी० है तथा कुल क्षेत्रफल 150.00 है0 है।

(प्रथमिता एजेन्सी) प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) उ० व० वि० निगम रामनगर (नैनीताल)

#### प्रपत्र–2

परियोजना का नाम— आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की घारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमित लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क)अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। कोसी-दाबका भाग-2

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस—पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। सलग्न है।

रु0-

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

परियोजना हेतु राजस्व एंव अन्य कोई सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि का चयन किया गया है।

ड) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

सलान है।

निर्माण / रखरखाव हेतु स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। शून्य

सलग्न है।

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य शून्य

ग) पुर्नवास योजना(संलग्न किये जाने के लिए)

शून्य

 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है?

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न।

 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।

सलग्न।

दिनांक-

नाम एंव हस्ताक्षर

स्थान- राप्तनगर रवनन प्रभाग

मोहर

प्रसामीय प्रबन्धक जाराखण्ड वन बिकास निवन जनम प्रमाग समनगर (नैनीताल)

प्रस्ताव की कम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

# SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from Regional manager(western Region), Uttarakhand Van Vikas Nigam, Ramnagar for diversion under FCA-1980) of 150 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Mining of minerals from Koshi-Dabka(Part-2) river in reserve forest. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 16-1-2021
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/unclassed/Other forests measuring 150 ha.
- **5.3** The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: the land proposed for land transfer is river bed which does not have any rare /endangered /unique species of flora and fauna.
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required. No such site present
  - a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Nil, YES

)

)

つっ つっ つ こ る る る る

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. Nil

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The patch of river proposed for collection of minor mineral falls in District Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Several villages and stone crusher are located in the vicinity of the river. The forest division does not have sufficient staff, vehicles, chowki in the nearby area and financial resources to oversee and ensure smooth operation of collection of minor mineral. Therefore, the project is recommended subject to fulfillment of following conditions:

- The patch of Kosi River proposed for collection of minor mineral does not have any forest chowki
  which can be used to station forest personnel for keeping a check on illegal activities. Therefore,
  provision of 8 chowki, with 4 on each side of river, is required. These chowki shall also serve as
  check post to regulate and maintain records of the quantity of river bed materials extracted during a
  season.
- Provision of at least 12 persons with 3 staff for each check post is made so that the forest personnel
  engaged in routine forest protection can be kept free for performing their forest and wildlife protection
  duties. Out of 3 staff 1 shall be the regular staff and 2 shall be contractual staff the expense of which
  shall be paid by the user agency.
- The division is short of vehicle to do patrolling in the river bed and nearby forest to control
  unlawfulcollection of minor mineral, protect forest and wildlife and prevent encroachment. Therefore,
  at least 4 vehicles new vehicles capable of plying on riverbed is provided.
- 2 Km long wirecrate checkdams at sensitive locations are created to prevent river bank erosion and prevent the forest land from washing away due to flood.

4.41 11

- On the lines of provision of Forest Clearance of Kosi, Dabka, Gola, Sharda and Nandhaur rivers. 50% of the net profit earned from the extraction of minor mineral shall be deposited in Special Purpose Vehicles to be exclusively used for protection of forest and wildlife in the vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals.
- A portion of fund contributed to district mineral fund from collection of minor mineral from above river patch is exclusively used for developmental work in the villages in the vicinity of river on the recommendation of Divisional Forest Officer so as to garner people support towards forest and wildlife protection.
- To maintain river geometry, provision of river training work to be conducted by forest department
  post collection season is made.

्राह्म व्यवसारक्षक प्राप्तिमी वन

उत्तराखुण्ड, हल्द्वानी

Place:- Ramnagar Date:- 31-1-2021 Name: Himanshu Bagri Designation: D.F.O.

प्रभागीय चन्त्रश्चिकारी तत्तर्इ परिचमी स्त्र प्रमाग रामकगर

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.



## कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)



Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotw@rediffmail.com

पत्रांक 3443

/9-1 (3)

दिनांक, रामनगर

L-4 2021

सेवा में.

प्रभागीय प्रबन्धक खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम,रामनगर

विषय – जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी दाबका भाग–02 से 150 है0 वन भूमि में उप खनिज चुगान हेतु (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अविध के लिये अनुमित दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 55/कोसी दाबका भाग-02 दिनॉक 08-04-2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02 के पत्रांक–1777/1(2) व०ग्रा०वि०/2002–19(2)/2002/ दिनॉक 28–10–2002 से जारी "शिवालिक एलिफेन्ट रिजर्व क्षेत्र " की अधिसूचना की अनुसूची के बिन्दु (क) में वर्णित वन प्रभागों में इस वन प्रभाग का ऊधमसिंह नगर जिले के अन्तर्गत 105.29 वर्ग कि०मी० क्षेत्र "शिवालिक एलिफेन्ट रिजर्व" के अन्तर्गत आता है तथा बिन्दु संख्या (ख) में वर्णित बफर क्षेत्र के अन्तर्गत इस वन प्रभाग के उत्तरी जसपुर एवं दक्षिणी जसपुर राजि का क्षेत्र आता है।

एवं दक्षिणा जसपुर राजि का क्षेत्र आता है। अतः प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02 के पत्रांक–1777/1(2) ववग्राविव/2002–19(2)/2002/ दिनॉक 28–10–2002 के अनुसार कोसी एवं दाबका

भाग-02 का उपखनिज चुगान क्षेत्र "शिवालिक एलीफेन्ट रिजर्व" के अन्तर्गत नहीं आता है।


(हिमांशु बागरी) प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग,रामनग्रु

संख्या 3443/ दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय प्रबन्धक(प०क्षे०) उ०व०वि०निगम रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बाँगरी) प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग,रामनः

2A Raid



परियोजना का नाम— आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

### मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के रामनगर राजि के अर्न्तगत ज्वालावन में उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी लगभग 15.00 किमी0 है, जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

20 00 लीव प्रातिवालाड

प्रमस्ता एजेन्सी प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) उ० व० विट निगम रामनगर (नैनीतास)

प्रभागीय वनाविकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त

#### प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम— आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

つうつうううつうつう

जनपद उधम सिंह नगर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 के उप खनिज चुगान निकासी हेतु 150.00 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

Whi?

जिलाधिकारी जिलाधिकारी उधमसिंह नगर

## उत्तराखण्ड वन विकास निगम



प्रयान कार्यालय- अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून

दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488, ई.-मेल: vanvikas12@gmail.com

पत्रांक-उ.-

/उप-खनिज चुगान/Replenishment Study

दिनांक O

अप्रैल, 202

सेवा में.

प्रमुख वन सरंह्यक,

कार्यालय-अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादुन।

विषय:-

उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित वन क्षेत्र की नदीतलों (उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवर्टित) से उपखनिज चुगान (रेता, बजरी, बोल्डर) हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अविध के लिये अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्ग:-

आपकी पत्र संख्या- (1) 2333/FP/UK/MIN/46042/2020हरिद्वार दे.दून दिनांक 06 मार्च, 2021

(2) 2332/FP/UK/MIN/60921/2020हरिद्वार दे.दून दिनांक 06 मार्च, 2021

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्मित पत्रों, जो प्रमागीय प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर को सम्बोधित तथा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत, हल्द्वानी व प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्रों में उल्लिखित बिन्दु संख्या-06 एवं 08 (Replenishment Study) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-1948/VII-A-1/2020/5(39)/20 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उप-खनिज चुगान से सम्बन्धित Replenishment Study हेनु तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्यों के रूप में निदेशक, भृतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा भू-वैज्ञानिक, खनन अमियंता/निदेशक, तकनीकी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत सरकार/निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून/ निदेशक, तकनीकी, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून/ प्रमुख अमियंता (विभागाध्यक्ष), सिंचाई विमाग/ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी/ सम्बन्धित निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक/सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी, नामित किये गये।

अतः उपरोक्त उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति/दल द्वारा ही Replenishment Study हेतु मात्रा के आंकलन का अध्ययन कर शासनादेश का अनुपालन किया जाना समीचीन होगा, जो दन विकास निगम के भी हित में होगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

क्षिण मवदीय.

(विनोद कुमार) पबना निटेशक

संख्याः उ.−...\-∱ऽ

../तद्दिनाकित्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक (गृदवाल/कु०), उ.व.विकास निगम, देहरादून/हल्द्वानी।

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड, वन विकास निगम।

पिनोद कुमार) प्रबन्ध निदेशक L

Scanned with CamScanner

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project - उन्हिल वर्ग होरा से उपरक्षिय पुर District:-

|  | B | loc | k:- | Go | Id | d | 7 | _ |
|--|---|-----|-----|----|----|---|---|---|
|--|---|-----|-----|----|----|---|---|---|

| SL.<br>No. | Particulars  | Amount in lakhs | Remark   |  |  |
|------------|--|-----------------|--|--|--|
| 1          | Total cost (Investment incurred)                                     | 500.00          | -  |  |  |
| (A)        | Construction Cost of the Project                                     | 200.00          | ·  |  |  |
| (B)        | N.P.V. Amount to be deposited @ lakh /Ha                             | 1408.50         |  |  |  |
| (D)        | Substitule/Alternative Planlation Cost to be Deposited:-             | -               | 1-11   |  |  |
|            | Total  | 2108.50         | - 48/ 1  |  |  |
| 2          | Benefits:-<br>Benefits from taking age of road as 50<br>Years        | 125.00          | 1 1  |  |  |
| (A)        | Economic Benefits-Market Development Taking                          | 195.00          |  |  |  |
| (B)        | Direct Employment of Labours-  | 11-             |  |  |  |
| (C)        | Employment Generation Due to other activities                        | 150.00          | The state of the s |  |  |
| (E)        | Therefore construction of Economically Viable and social beneficial. | 1-1             | - 1 ·  |  |  |

470.00

उ० व॰ वि८ िगम रामनगर (नैनीताल)

(55)

### Cost of Project:-

Name Of Project:- Collection of the minor mineral from the KOSI-DABKA Part-II River.

### Uttrakhand forest Development Corporation, Ramnagar (Nainital)

| s.t   | Particular   | Amount<br>(In Lakh) | Remark  |
|-------|--|---------------------|---|
| 1-    | Total cost (Investment incurred)                                     | 500.00              | fencing of Saftey zone, Demarcation,<br>Staff Salary, Labour walfare, Repair and<br>maintenance of roads, Other expenditures      |
| (a)   | Construction cost. Of the Project                                    | 200.00              | •   |
| (b)   | N.P.V. Amount to be deposited@ lakh/Ha                               | 1408.50             | -   |
| (c)   | Substitute/alternative Plantation cost to be deposited:-             | -                   | -   |
| 100   | Total-   | 2108.50             |   |
| 2     | Benefits:-<br>Benefits from taking age of road<br>as 50 Years        |                     |   |
| (a)   | Economics Benefits Market Devlopment Taking                          | 2450.00             | Production Cost and other   |
| (b)   | Direct Employment of Labours-  |                     | About 2500 labours will be working for 9 months/year for 10 years @Rs 500=1125.00 Lakh. These labours are directly paid by buyer. |
| (c)   | Employment Genration Due to Other activities                         | -                   |   |
| - (d) | Therefore construction of Economically viable and social beneficial. | -                   |   |

Note: Total expenditure SI No 1= Rs 700.00 (In Lakhs)

Benefit SI No 2 = Rs 2450.00 (In Lakhs)

Therefore, Benefits/cost Ratio=2450/700=3.50

So, therefore the project is economically viable socially beneficial.

Divisional Manager (Minning) Uttrakhand Forest Destropment Corporation, Khanan Ramnagar Division (Nainital)

# Name Of Project:- Collection of the minor mineral from the KOSI-DABKA Part- II River.

Parameter for Evaluation of loss of Benefits, not with standing loss of forests:-

Nature of Proposal:- Collection of the minor mineral from the KOSI-DABKA Part- II River.

| S.<br>No. | Particular   | Road, Tr. Lines & Railway line  |
|-----------|--|---|
| 1         | Increase in productivity attributable to the specific project.   | The area lies unoccupied for the past many years. There is possibility of illegal collection of RBM. Not only this due to flooding during rainy season the level of river bed kept on rising. Is done there will be increase in govt. revenue and the nearby areas will be prevented from sunmersion. |
| 2         | Benefits to economy.   | As given in cost benefit ratio chart, the total expenditure is Rs 700.00 Lakhs and the benefit will be Rs 2450.00 which can be more.  |
| 3         | No. of population benefited.   | Most of People must be benefited.   |
| 4         | Employment potential.  | Most of People must be benefited.   |
| 5         | Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.  | There is no need of acquisition of non-forest land for any facility.  |
| 6         | Loss of (a) agriculture & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.                    | There will be no loss in agriculture and animal husbandry production due to diversion of the forest land because the area is in seasonal river bed where there is no flora and fauna.   |
| 7         | Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amount given for displacement.     | There is no displacement of people due to the project.  |
| 8         | Cost of supply of fuel free-wood to workers residing in of near forest area during the period of construction. | Alternate Energy source will be provided to reduce the fuel wood.   |

Name Of Project:-

Collection of the minor mineral from the KOSI-DABKA Part- II River.

Parameter for Evaluation of loss of forests:-

Nature of Proposal:- Collection of the minor mineral from the KOSI-DABKA Part- II River.

| S.<br>No. | Particular   | Minor irrigation projects, quarrying of stones/metals  |
|-----------|--|--|
| 1         | Loss of value of timber, fuelwood and minor forest produce of an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from harvest of these commodities.                    | Minor mineral will be collected from middle of   |
| 2         | Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder.   | There is no loss of animal's husbandry productivity and loss of fodder because collection of the minor mineral will be done in the middle of the seasonal river which is free from fodder and have a |
| 3         | Cost of human resettlement.  | from fodder and hence from animals.  There is no settlement as the area is a reserved forest within river bed.   |
| 4         | Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, Building, Schools, Dispensaries, Electric line, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project. | No public facilities exist in the proposed site and there is no need for diversion of infrastructure in un around the site.  |
| 5         | Environment losses: (soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, Microclimate upsetting of ecological balance)   | - 1  |
| 6         | Suffering to outers.   | There is no resettlement issue due to the project.   |

Divisional Munager Minning)
Uttrakhand Forest Devilopment Corporation,
Khanan Ramhagar Devision (Nainital)

परियोजना का नाम—आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

#### लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि ..... वर्षो की अनुमाल / लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह0 / – प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर प्रयोक्ता एजन्सी प्रभागीय प्रयः (खन उ० व० वि० । नगम रामनगर (नैनीताल)



### उत्तराखण्ड वन विकास निगम (शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

| /आसय पत्र         | हिनांकः ८ 3 मई. 2016                                  |
|-------------------|---|
|                   |   |
| ं स्विकर्प रकार्र | Jane Part   |
| देशालय, मोपालपानी |   |
|                   |   |
| 2                 | /आशय पत्र<br>वं खनिकर्म इकाई,<br>वेदेशालय, भोपालपानी, |

आपके स्तर से जारी किये गए आशय पत्रों के माध्यम से उतराखण्ड वन विकास निगम को आवंदित आरक्षित वन क्षेत्र की निम्न निर्देशों में उप-खिनिज बुगान कार्य नहीं किया जाना है। विवरण निम्नवत है :-

| _ | सं0 | जनपद का नाम  | नदी का नाम        | सेत्रफल<br>(है0) | आप द्वारा जारी आशय<br>पत्र का सन्दर्भ  |  |
|---|-----|--------------|-------------------|------------------|--|--|
| Ŋ | 2   | नैनीताल<br>- | दावका भाग2<br>बीट | 140              | आश्य<br>पत्र/ववविवनिव/भूवस्वनिव<br>ईव/2014-15 दिनांक<br>19.05.2015<br>पत्रांक 75-स्वनन<br>आश्य<br>पत्र/ववविवनिव/भूवस्वनिव<br>ईव/2014-15 दिनांक<br>19.05.2015 | हल्द्वानी के पत्रांक- मैमो। 22-11 दिनांक 22.11.2015 (तंलग्नक-1) द्वारा जारी 'संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट' के अनुतार नदी तल में उप-खिनज नहीं है और उप-खिनज न होने के कारण प्रस्ताव हटाने की तस्तृति की गई है। उप-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या- 110/21-2 हल्द्वानी दिनांक 24.02 2016 (तंलग्नक-2) द्वारा जारी 'संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट' के अनुतार उक्त क्षेत्र में अतिसंकटापन वन्य जीव प्रजातियों के अतिरिक्ता अन्य वन्य जीवों का वासस्यल विद्यमान है जिसमें उप-खिनज चुनान की गतिविधियों के कारण इन पर कुप्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावनाएँ हैं। उपरोक्षा 'संस्कृत रिपोर्ट' के अर्थना 'संस्कृत परिचार कि प्रस्ताव पर्यों के अर्थना 'संस्कृत परिचार कि प्रस्ताव पर्यों के अर्थना 'संस्कृत परिचार कि प्रस्ताव पर्यों के अर्थना 'संस्कृत परिचार कि प्रस्ताव 'संस्कृत परिचार कि प्रस्ताव पर्यों के अर्थना 'संस्कृत परिचार कि प्रस्ताव 'संस्कृत कि प्रस्ताव स्ताव |
|   |     | TT01         | पा नगरा। दावदा    | 1. 414-2 (4      | (ii) बार नदी के राध्वन्ध भे  | וא אוויים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים   |

नदी के राध्यम में उपरोक्त 'संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट' क्षेत्रीय प्रश्न्यक (५०६५०) उत्प्रासण्ड वन विकास निगम, रामनगर के पत्र संख्या- 5575/कोसी-दाबका व बोर नदी/2015--16 दिनांक 11.03.2016 के म

|   | 1-0-   | भा तलम हा तिल        | 75-3)         | मध्यम हे  |
|---|--------|----------------------|---------------|---|
| 3 | हरिदार | पीली<br>उपरोवत परिदि | थितयाँ के का  | पत्रांक राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद की 36वीं बैठक दिनांक 04.11 2110/लगन/पृश्वनिवर्ध 2015 में वन्य जनाओं का प्रवास होने के कारण 20.02.2015 (कार्यवृत की प्रति संलग्न है)। (स्तेमक-4) 17ण उनत नदिनों से जग-स्वनिज पुगान कार्य नहीं किया जाना है। |
|   |        | MIL MILE N           | जुराव ह ।वा र | उत्त निद्वी की अभाग प्रतिपालके  |

अतः आपरो अनुरोध है भि। उवत भदियों का आशय पत्रा(एल०औ०आई०) निरस्त करने का कर करें एवं प्रति

रिकार्ड हेनु इस कार्यालय को भी अपलब्ध कराने की कर करे। संसन्तक :- ययोषरि ।

Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner